जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांकः– ज.वि.प्रा. / अति.मु.न.नि. / बी.पी.सी.(बीपी) / 2023 / डी–1105 दिनांकः– 04/10/2023

भवन निर्माण स्वीकृति पत्र

1.	खसरा / भूखण्ड संख्या	खसरा नम्बर 213 / 4, ग्राम कनकपुरा, जयपुर।
2.	विकासकर्ता का नाम / पता	श्री अमित कोटेचा, पार्टनर, रिद्धि सिद्धि प्राईम रियल्टी एल.एल.पी., 81–82, ज्ञान विहार कॉलोनी, निर्माण नगर, जयपुर।
3.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	4085 व.मी. 1100 व.मी. (24 मी. सेक्टर सडक मार्गाधिकार में समर्पित भूमि)
4.	भूखण्ड के सामने सड़क की चौडाई	24 मीटर
5.	लीजडीड जारी दिनांक	12.12.2019 | भू–उपयोगः– आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	पुर्नगठित / एकल पट्टा / उप विभाजन	एकल पट्टा
7.	प्रस्तावित भवन मानचित्रों का प्रयोजन	आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।
8.	वास्तुविद का नाम एवं पंजीयन क्रमांक	श्री श्रीकृष्ण, सी.ए. / 99 / 25451

अनुमोदित मानदण्डः–

1.	भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि	भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि मानचित्र जारी होने की दिनांक से 7 वर्ष अर्थात **दिनांक 27.09.2030 तक** प्रभावी है।				
2.	सैटबैक	सामने	पार्श्व–I	पार्श्व–II	पीछे	
		12.20 मी.	11.28 मी.	11.32 मी.	12.20 मी.	
3.	सकल निर्मित क्षेत्रफल	29113.88 व.मी.				
4.	बी.ए.आर.	4.91 (20077.86 व.मी.)				
5.	आच्छादित क्षेत्रफल	34.21 प्रतिशत (1397.64 व.मी.)				
6.	ऊँचाई	0.50 मी. (प्लिन्थ) + 38.59 मी. (भूतल से 12 तल) = 39.09 मी.				
7.	तलों की संख्या	(लोअर बेसमेन्ट + अपर बेसमेन्ट + भूतल + प्रथम से 12 तल))				
8.	पार्किंग	कार		स्कूटर	बस	कुल ईसीयू
		सरफेस	मैकेनिकल			
		172		150	–	222

तथ्यः–

1.	प्रथम अनुमोदन / संशोधन	प्रथम अनुमोदन
2.	समिति की बैठक संख्या एवं दिनांक	275वीं बैठक दिनांक 19.07.2023

अनापत्ति प्रमाण पत्रः–

1.	अग्निशमन विभाग	अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन के समय प्रस्तुत की जानी है।
2.	पर्यावरण विभाग का Consent to operate	अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन के समय प्रस्तुत की जानी है।
3.	भारतीय नागरिक उड्डयन विभाग	CCZM-2023 अनुसार अधिकतम 75 मीटर ऊँचाई अनुज्ञेय है। साईट कॉर्डिनेट्स निम्नानुसार हैः–

26°54'21.30"N	75°42'11.89"E
26°54'21.19"N	75°42'13.75"E
26°54'23.87"N	75°42'13.93"E
26°54'23.95"N	75°42'12.27"E

सामान्य शर्तेः–

प्रकरण भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 275वीं बैठक दिनांक 19.07.2023 में प्रस्तुत किया जाकर सशर्त 0.50 मी. (प्लिन्थ) + 44.45 मी. (भूतल से 14 तल) = 44.95 मी. + 6 मी. (मशीन रूम / ममटी / वाटर टैंक) कुल 50.95 मी. ऊँचाई के भवन मानचित्र 40 मीटर से अधिक ऊँचाई होने के कारण राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया है। आप द्वारा संदर्भित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रश्नगत परियोजना के 40 मीटर से कम ऊँचाई के मानचित्र जारी किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रस्तुत प्रतिवेदन के क्रम में 0.50 मी. (प्लिन्थ) + 38.59 मी. (भूतल से 12 तल) = 39.09 मी. मीटर ऊँचाई के भवन मानचित्र बी.पी.सी. (बी.पी.) की 269वीं बैठक दिनांक 02.03.2023 के निर्णयानुसार निम्न शर्तो के साथ निर्माण स्वीकृति दी जाती हैः–

1. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप उपायुक्त जोन–07, प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेगे।
2. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होगें।
3. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावें।
4. भवन का उपयोग प्रारंभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावें जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line

Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व उपायुक्त जोन को सूचना उपलब्ध करवाई जावें ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।

5. विकासकर्ता द्वारा भवन के परिसर को स्वीकृत मानचित्र में दर्शित/निर्धारित अनुसार ही उपयोग में लिया जावेगा।
6. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.2(x) के अनुसार भवन में अपेक्षित सेवाओ यथा प्रस्तावित जल वितरण प्रणाली, जल मल निकासी प्रणाली, विद्युत सेवाऐं, वातानुकूल सेवाऐं आदि से संबंधित मानचित्रों के दो सैट जो कि आवेदित परियोजना की डिजाईन व निर्माण की क्रियान्विति हेतु अनुबंधित किये गये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट एवं परियोजना के स्ट्रक्चरल इंजीनियर से ही प्रमाणित किये हुये, अधिकतम 90 दिवस की अवधि में उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा।
7. प्रकरण बहुमंजिला भवन होने के कारण भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.2(xi) के अनुसार आप द्वारा भवन में अग्निशमन संबंधित प्रावधान एन.बी.सी. के अनुसार रखे जाने आवश्यक होंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। भवन निर्माण पूर्ण हो जाने के पश्चात अधिवास प्रमाण–पत्र जारी करने से पूर्व अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. परियोजना में भूखण्ड के क्षेत्रफल, प्रस्तावित सकल निर्मित क्षेत्रफल एवं ऊँचाई अनुसार भवन विनियम 2020 से संबंधित प्रावधान संख्या 10.11 (पर्यावरण संरक्षण हेतु नियम), नियम 10.11.1 (वर्षा जल संग्रहण), 10.11.2 व नविवि के आदेश दिनांक 07.09.2021 (अपशिष्ट जल का शुद्विकरण एवं रिसाईकिलींग हेतु प्रावधानों की अनुपालना) 10.11.3 (पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण), 10.11.4 (सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल), 10.11.5 (सौर ऊर्जा संयत्र), 10.11.2.5 व 16.3 (सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट), 12.1 (पार्किंग क्षेत्र की पालना), 12.3 (विद्युत आवश्यक की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेन्सी के प्रावधान), विनियम संख्या 15 (निर्माण कार्य के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया), नियम संख्या 15.5 (भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण) के प्रावधानों की अनुपालना की जानी होगी।
9. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 12.1.4 (अ) के अनुसार आवश्यक पार्किंग का 10 प्रतिशत EV Charging Facility के प्रावधान की मौके पर सुनिश्चितता की जावेंगी।
10. भवन में RPWD Act 2016, UNCRPD Act 2006 एवं प्रचलित भवन विनियम में विनिर्दिष्ट धाराओं के अनुसार विशेष योग्यजनों के लिए आवश्यक मापदण्ड/सुविधाओं/साईन बोर्ड/दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
11. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 14.12.2022 के अनुसार भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 12.4 के अनुसार भवन में Common Telecom Infrastrcture (CTI) के प्रावधान की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
12. आकाशीय बिजली से बचाव हेतु भवन में Thunder stick (तडित चालक) का प्रावधान रखा जाना अनिवार्य होगा।
13. भवन परिसर में आगतुकों की पार्किंग उपलब्ध करवाई जाए तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
14. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावें।
15. यह भवन निर्माण स्वीकृति स्वामित्व का दस्तावेज नहीं हैं।
16. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 18.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
17. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगें।
18. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पडे या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
19. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण–पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
20. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते है कि आप द्वारा परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के पश्चात नियमानुसार पूर्णता एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक हैं।
21. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार भूखण्ड से लगती हुई सम्पूर्ण सभी सडकों का विकास, फुटपाथ एवं वृक्षारोपण का प्रावधान स्वयं के व्यय पर सुनिश्चित किया जाना होगा।

22. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार भवन में प्रत्येक लिफ्ट में ए. आर.डी. (Automatic Rescue Device) सिस्टम का प्रावधान रखा जाना होगा।

23. आप द्वारा लेबर सेस की प्रति वर्ष शेष राशि स्वयं के स्तर पर लेबर विभाग में जमा करवाई जानी होगी।

विशेष शर्तें:—

1. यह भवन निर्माण अवधि 02.07.2026 (दिनांक 03.07.2023 को जारी फ्री होल्ड लीजडीड अनुसार) तक देय होगी।
2. यह भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि मानचित्र जारी होने की दिनांक से 7 वर्ष अर्थात दिनांक 27.09.2030 तक प्रभावी हैं।
3. यह भवन निर्माण स्वीकृति आप द्वारा मांग राशि जमा होने एवं निम्नानुसार पांच उत्तर दिनांकित चैक प्रस्तुत किये जाने के आधार पर दी जा रही है:—

क्र.सं.	बैंक का नाम	चैक संख्या	दिनांक	कुल राशि
1.	AU SMALL FINANCE BANK	000078	28.08.2024	51,87,773/—
2.		000079	28.05.2025	51,87,773/—
3		000080	28.02.2026	51,87,773/—
4.		000081	28.11.2026	51,87,773/—
5.		000082	28.08.2027	51,87,773/—

यदि आप द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांकित चैक अनादरित (Dishonor) होते हैं तो नियमानुसार ब्याज देय होगा एवं आप द्वारा बेटरमेन्ट लेवी राशि जमा नहीं करवायें जाने पर भवन निर्माण स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेंगी। भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 276वीं बैठक दिनांक 11.08.2023 में लिये गये नीतिगत निर्णयानुसार उत्तर दिनांकित चैक अनादरित (Dishonor) होने पर भविष्य में आपकी किसी भी अन्य परियोजना का जविप्रा द्वारा अनुमोदन नहीं किया जावेंगा तथा मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन) द्वारा जविप्रा एक्ट की धारा 32, 33, 34ए एवं अन्य संबंधित धाराओं के प्रावधानानुसार उक्त परियोजना का कार्य को मौके पर रूकवाने हेतु सूचित किया जाकर प्रवर्तन शाखा द्वारा भवन को सीज करने की अविलम्ब कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न:— मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (09 मानचित्र)

भवदीय,

04/10/2023

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं आवश्यक **कार्यवाही हेतु।**

1. मुख्य नियन्त्रक (प्रर्वतन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (09 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. उपायुक्त, जोन—07, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (09 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. प्रबंध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युत भवन जनपथ, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय जन स्वाथ्य अभियांत्रिकी विभाग हसनपुरा रोड, रेल्वे हॉस्पीटल के पास, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. उपायुक्त राजस्व—प्रथम, नगर निगम, जयपुर को पत्र क्रमांक एफ. 6()/उपा. रा (प्रथम)/जननि/2019/18 दिनांक 08.03.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित हैं।
6, श्री विष्णु मोहन झा, चीफ एयरपोर्ट अधिकारी, जयपुर इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

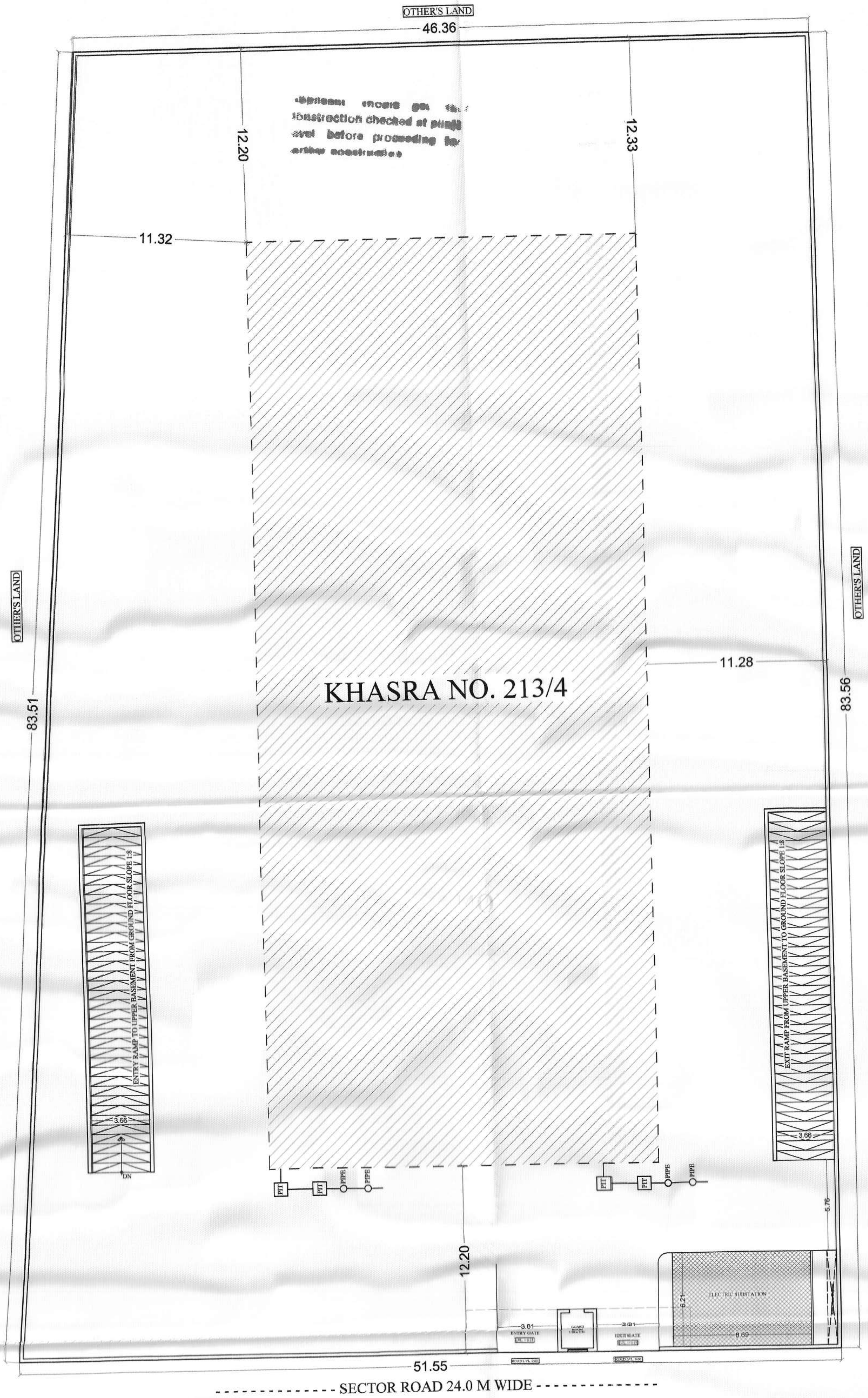

SITE PLAN & RAIN WATER HARVESTING PLAN

SCALE : 1:200

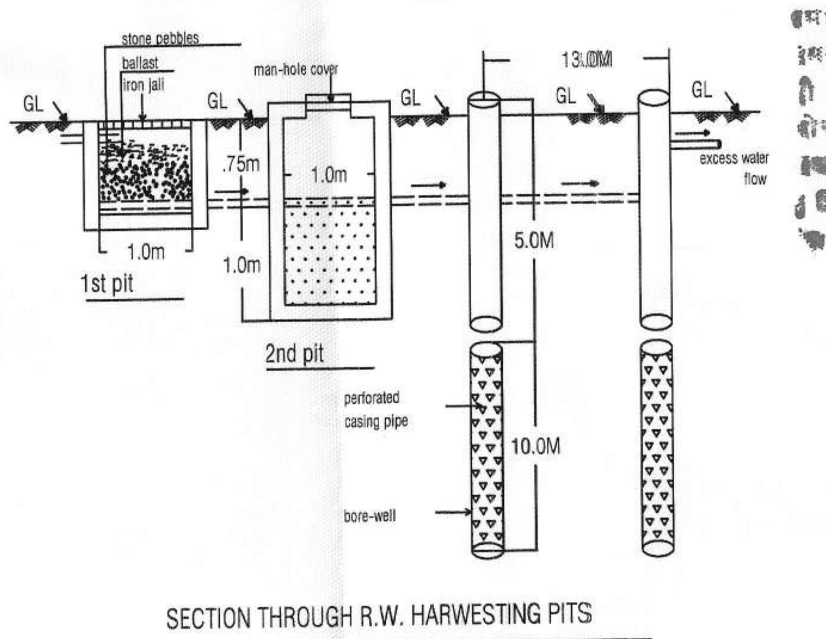

SECTION THROUGH R.W. HARWESTING PITS

AREA CALCULATION (AREA IN SQ. MTR.)

S.NO.	FLOOR	GROSS BUILTUP	SERVICE SHAFT	FIRE ESCAPE STAIR	ARCHITECTURAL ELEMENT/ CHAJJA	LIFT WELL	B.A.R.	FACILITIES
1	LOWER BASEMENT	3542.11	-	-	-	18.80	-	-
2	UPPER BASEMENT	3481.05	-	-	-	18.80	-	-
3	GROUND FLOOR	1764.21	6.76	47.24	338.47	18.80	1352.94	1158.60
	GUARD ROOM	7.25	-	-	-	-	-	-
	ELECTRIC SUBSTATION	53.83						
	GAS BANK	2.23						
4	1st FLOOR	1688.60	6.76	47.24	55.39	18.80	1560.41	-
5	2nd FLOOR	1688.60	6.76	47.24	55.39	18.80	1560.41	-
6	3rd FLOOR	1688.60	6.76	47.24	55.39	18.80	1560.41	-
7	4th FLOOR	1688.60	6.76	47.24	55.39	18.80	1560.41	-
8	5th FLOOR	1688.60	6.76	47.24	55.39	18.80	1560.41	-
9	6th FLOOR	1688.60	6.76	47.24	55.39	18.80	1560.41	-
10	7th FLOOR	1688.60	6.76	47.24	55.39	18.80	1560.41	-
11	8th FLOOR	1688.60	6.76	47.24	55.39	18.80	1560.41	-
12	9th FLOOR	1688.60	6.76	47.24	55.39	18.80	1560.41	-
13	10th FLOOR	1688.60	6.76	47.24	55.39	18.80	1560.41	-
14	11th FLOOR	1688.60	6.76	47.24	55.39	18.80	1560.41	-
15	12th FLOOR	1688.60	6.76	47.24	55.39	18.80	1560.41	-
16	13th FLOOR	1688.60	6.76	47.24	55.39	18.80	1560.41	-
17	14th FLOOR	1688.60	6.76	47.24	55.39	18.80	1560.41	-
18	STAIR CASE MUMTY/ ARCHITECTURAL ELEMENT	645.39	-		-		-	-
19	TOTAL	33136.47	-	-	-	-	23198.68	1158.60

GROSS BUILTUP AREA Upto 12th Floor = 29113.88 Sq.Mt.

B.A.R. Upto 12th Floor = 20077.86 Sq.Mt.

Height From Road Lvl. Upto 12th Floor = 39.09 Meters

S.NO.	REFERENCE :-	
1.	PLOT AREA = 5185.00 SQ.MT. AREA SURRENDER IN SECTOR ROAD 24.00 MTR. = 1100.00 SQ.MT. NET PLOT AREA = 4085.00 SQ.MT. (4885.61 SQ.YDS.)	
2.	STANDARD B.A.R. = 4085.00 X 2.00 = 8170.00 SQ.MT. AREA SURRENDER IN SECTOR ROAD 24.00 MTR. = 1100.00 SQ.MT. TOTAL FREE B.A.R. = 8170+1100 = 9270.00 SQ.MT.	
3.	PROPOSED B.A.R. = 23198.68 SQ.MT. (5.67) PROPOSED ADDITIONAL B.A.R. = (23198.68) - (9270.00) = 13928.68 SQ.MT.	PROPSED B.A.R. Upto 12th Floor = 20077.86 Sq.Mt. PROPSED ADDITIONAL B.A.R. Upto 12th Floor = 20077.86 - 9270.00 = 10807.86 Sq.Mt.
4.	PERMISSABLE GROUND COVERAGE = 40 % (1634.00 SQ. MT.)	
5.	PROPOSED GROUND COVERAGE = 34.21 % (1397.64 SQ. MT.)	
6.	REQUIRED LANDSCAPE AREA (10 %) = 408.50 SQ.MT.	
7.	PROPOSED LANDSCAPE AREA (10.00 %) = 408.82 SQ.MT.	
8.	PERMISSABLE HEIGHT AS PER BYE LAWS = PLINTH (1.20) + STILT (6.50) +(1.5 X Road Width + Front Setback) +7.75 (Mumty & Machine Room) = 1.20 + 6.50 + (1.5 x 24 + 12.00) + 7.75 = 1.20 + 6.50 + 48.00 +7.75 = 63.45 M	
9.	PROPOSED HEIGHT = PLINTH (0.50)+44.45 (Ground + 14 Floors) + 6.00 (Mumty & Machine Room) PLINTH (0.50)+ 44.45 + 6.00 = 50.95 M	
10.	E.C.U. REQUIRED :- RESIDENCIAL = 23198.68 / 115 = 201.72+ 10% (VISITOR PARKING) E.C.U. = 221.89 (CAR = 167 , SCOOTER = 165)	
11.	E.C.U. PROPOSED :- CAR = 172 , SCOOTER = 150 (222.00 E.C.U.) CAR THROUGH DRIVEWAY = 128 CAR BACK TO BACK = 44	
12.	ELECTRIC VEHICLE POINT REQUIRED = 23 ELECTRIC VEHICLE POINT PROPOSED = 23	
13.	NUMBER OF FLATS/ UNITS = 126	NUMBER OF FLATS/ UNITS UPTO 12th FLOOR = 108
14.	MAXIMUM FACILITIES PERMISSABLE = 5% OF B.A.R. = 1159.93 SQ.MT. FACILITIES PROPOSED = 1158.60 SQ.MT. (4.99%)	

	CAR	SCOOTERS
LOWER BASEMENT	79	94
UPPER BASEMENT	84	56
OPEN	9	0
TOTAL	172	150

अनुमोदित

वरिष्ठ नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

04/10/2023
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

N W E S

SCALE = 1:100

OWNER

For RIDHI SIDHI PRIME REALTY LLP

Designated Partner

PROJECT :-

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT
KHASRA NO. 213/4 AT
VILLAGE- KANAKPURA , JAIPUR

ARCHITECT :-

SPACE GRID

C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG,
BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766,0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHRI KRISHAN
ARCHITECT
CA/..../25451

SHEET NO-02

LOWER BASEMENT PLAN WITH CIRCULATION

SHRI KRISHAN
ARCHITECT
CA/99/25451

SCALE = 1:100

	PROJECT :-	OWNER	ARCHITECT :-
N / W E / S	PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT KHASRA NO. 213/4 AT VILLAGE- KANAKPURA , JAIPUR	For RIDHI SIDHI PRIME REALTY LLP Designated Partner	SPACE GRID C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766,0141-4005506 (0) Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHEET NO-03

-SECTOR ROAD 24.0 M WIDE-

UPPER BASEMENT PLAN WITH CIRCULATION

SHRI KRISHAN
ARCHITECT
CA/98/25451

SCALE = 1:100

N W E S	PROJECT :- PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT KHASRA NO. 213/4 AT VILLAGE- KANAKPURA , JAIPUR	OWNER For RIDHI SIDHI PRIME REALTY LLP Designated Partner	ARCHITECT :- SPACE GRID C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766,0141-4005506 (O) Email:-info.spacegrid@gmail.com

अनुमोदित

SHEET NO-04

...construction checked at plinth level before proceeding further construction...

वरिष्ठ नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

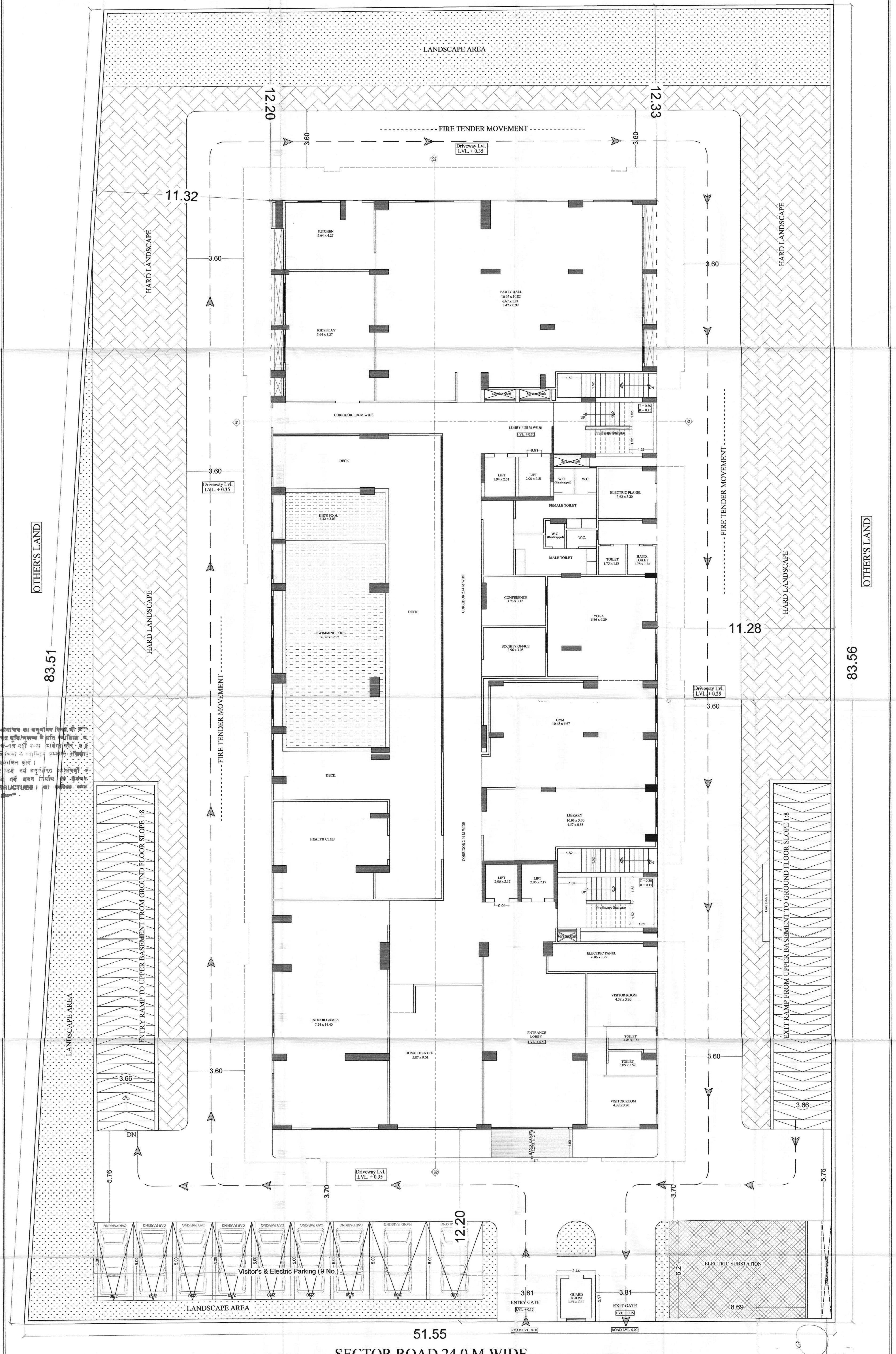

- - - - - - - - - - - - SECTOR ROAD 24.0 M WIDE - - - - - - - - - - - -

SHRI KRISHAN ARCHITECT CA/99/25451

SCALE = 1:100

GROUND FLOOR PLAN WITH CIRCULATION

N W E S

PROJECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT
KHASRA NO. 213/4 AT VILLAGE- KANAKPURA , JAIPUR

OWNER
For RIDHI SIDHI PRIME REALTY LLP
Designated Partner

ARCHITECT :-
SPACE GRID
C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG,
BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766,0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

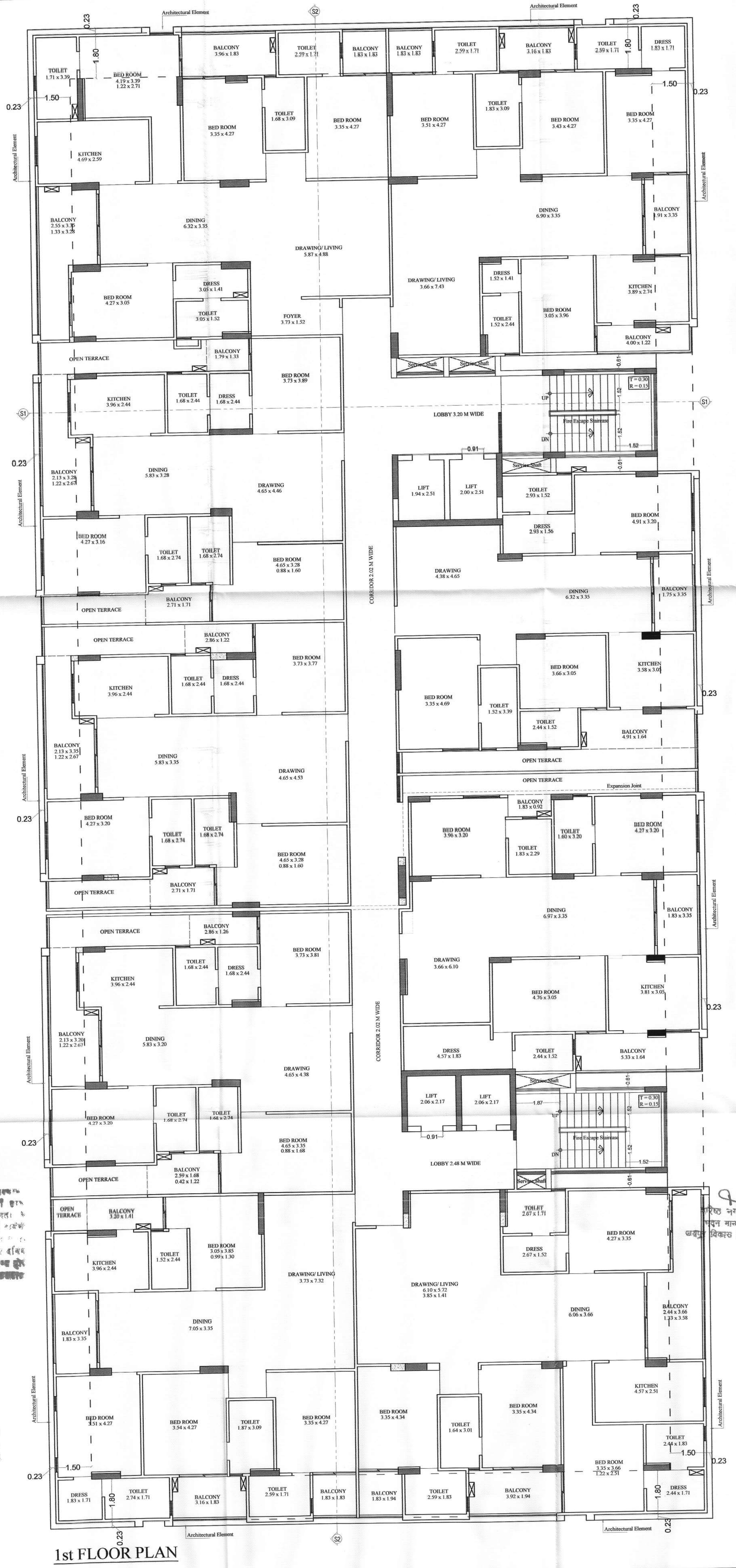

1st FLOOR PLAN

अनुमोदित

वरिष्ठ नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Applicant should get the construction checked at plinth level before proceeding to further construction.

N W E S

OWNER

SCALE = 1:100

PROJECT :-

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT KHASRA NO. 213/4 AT VILLAGE- KANAKPURA , JAIPUR

ARCHITECT :-

SPACE GRID
C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG,
BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766,0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHRI KRISHAN
ARCHITECT
CA/99/25451

SHEET NO-06

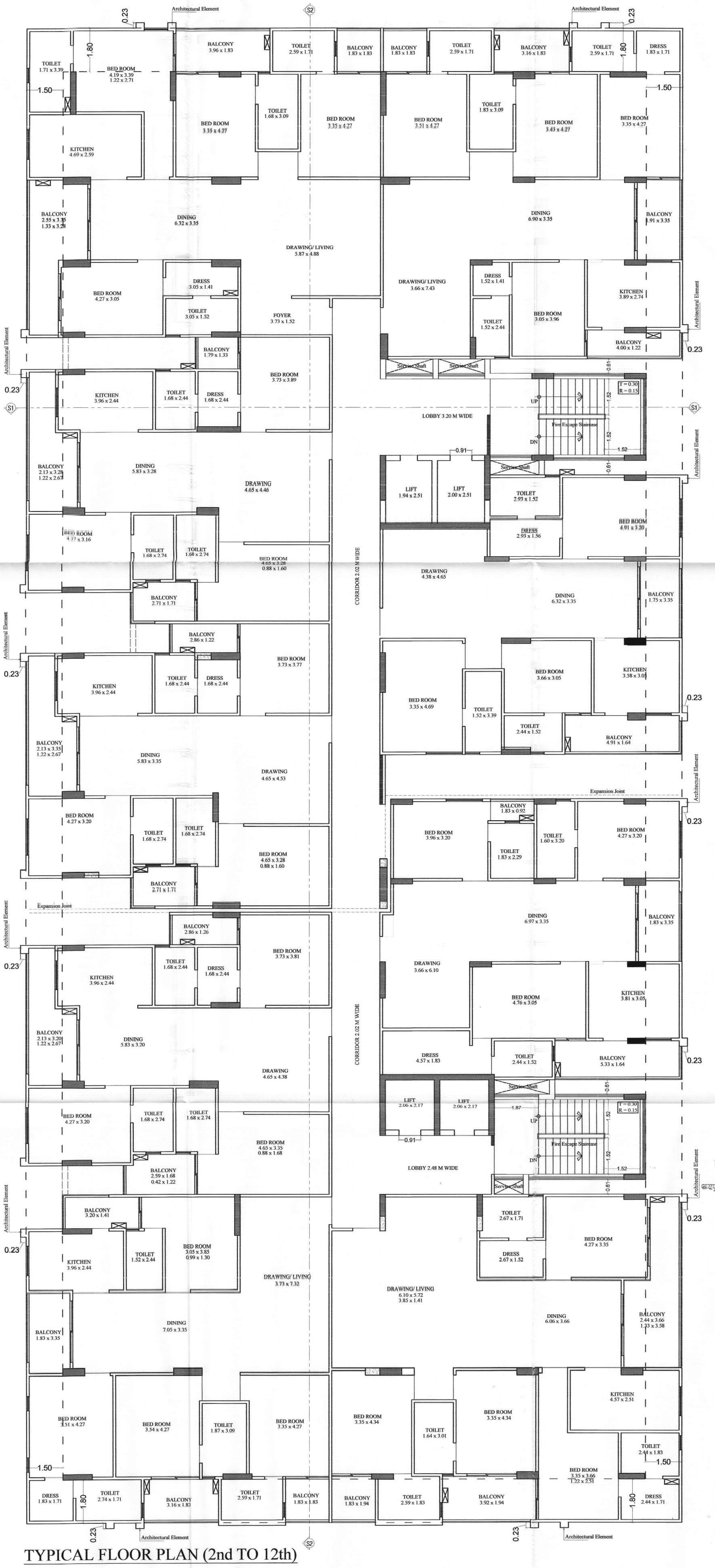

TYPICAL FLOOR PLAN (2nd TO 12th)

अनुमोदित

वरिष्ठ नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

04/10/2023
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction

N W E S	OWNER For RIDHI SIDHI PRIME REALTY LLP Designated Partner
SCALE = 1:100	

PROJECT :-

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT KHASRA NO. 213/4 AT VILLAGE- KANAKPURA , JAIPUR

ARCHITECT :-

SPACE GRID
C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG,
BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766,0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHRI KRISHAN
ARCHITECT
CA/99/25451

SHEET NO-07

अनुमोदित

FRONT ELEVATION

LEFT SIDE ELEVATION

applicant should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction

SHRI KRISHAN ARCHITECT CA/99/25451

SCALE = 1:100

PROJECT :-	OWNER	ARCHITECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT KHASRA NO. 213/4 AT VILLAGE- KANAKPURA , JAIPUR	For RIDHI SIDHI PRIME REALTY LLP Designated Partner	SPACE GRID C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766,0141-4005506 (O) Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHEET NO-08

RIGHT SIDE ELEVATION

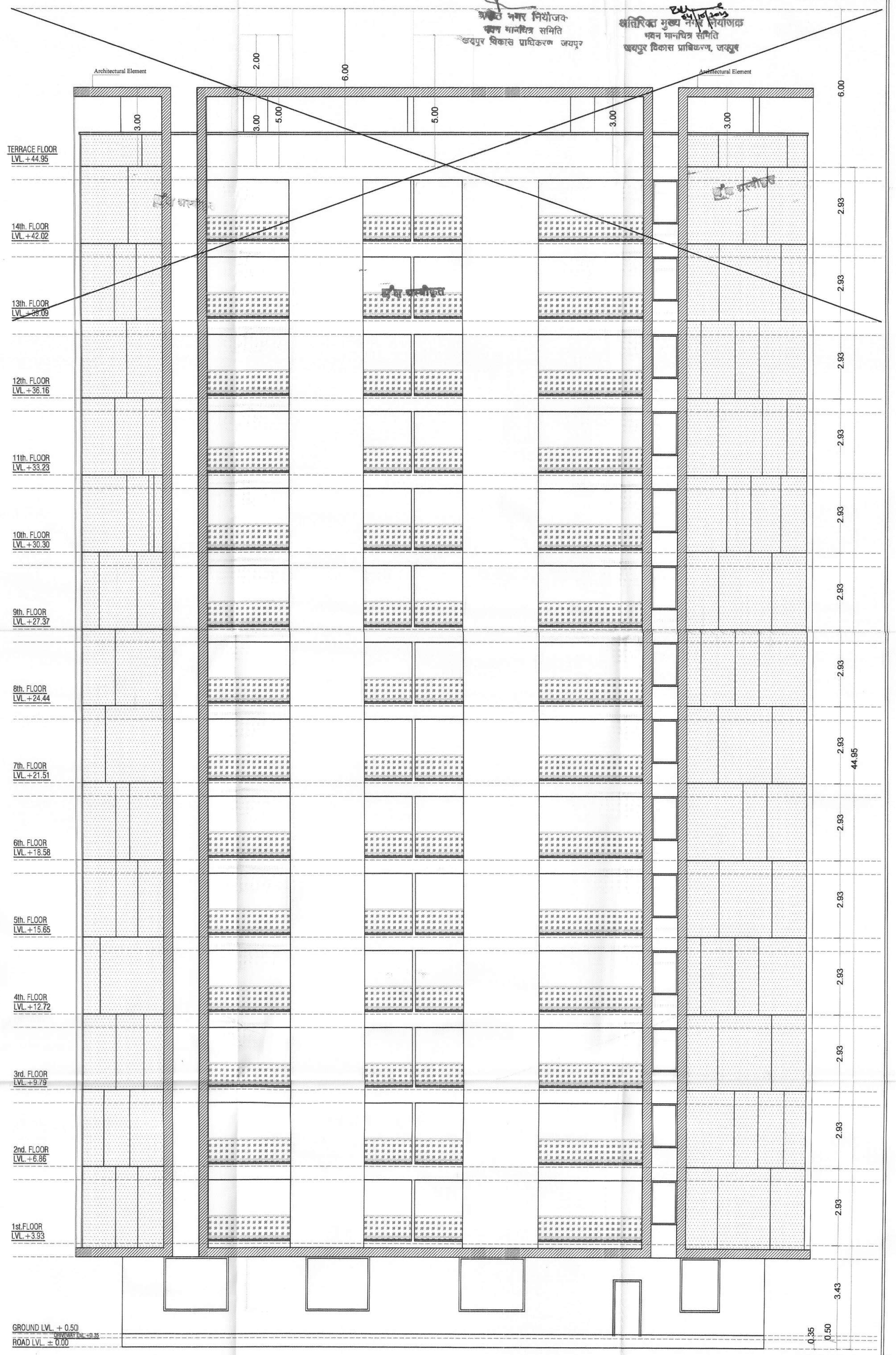

BACK SIDE ELEVATION

SCALE = 1:100

PROJECT :-	OWNER	ARCHITECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT KHASRA NO. 213/4 AT VILLAGE- KANAKPURA , JAIPUR	For RIDHI SIDHI PRIME REALTY LLP Designated Partner	SPACE GRID C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766,0141-4005506 (O) Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHRI KRISHAN ARCHITECT

SHEET NO-09

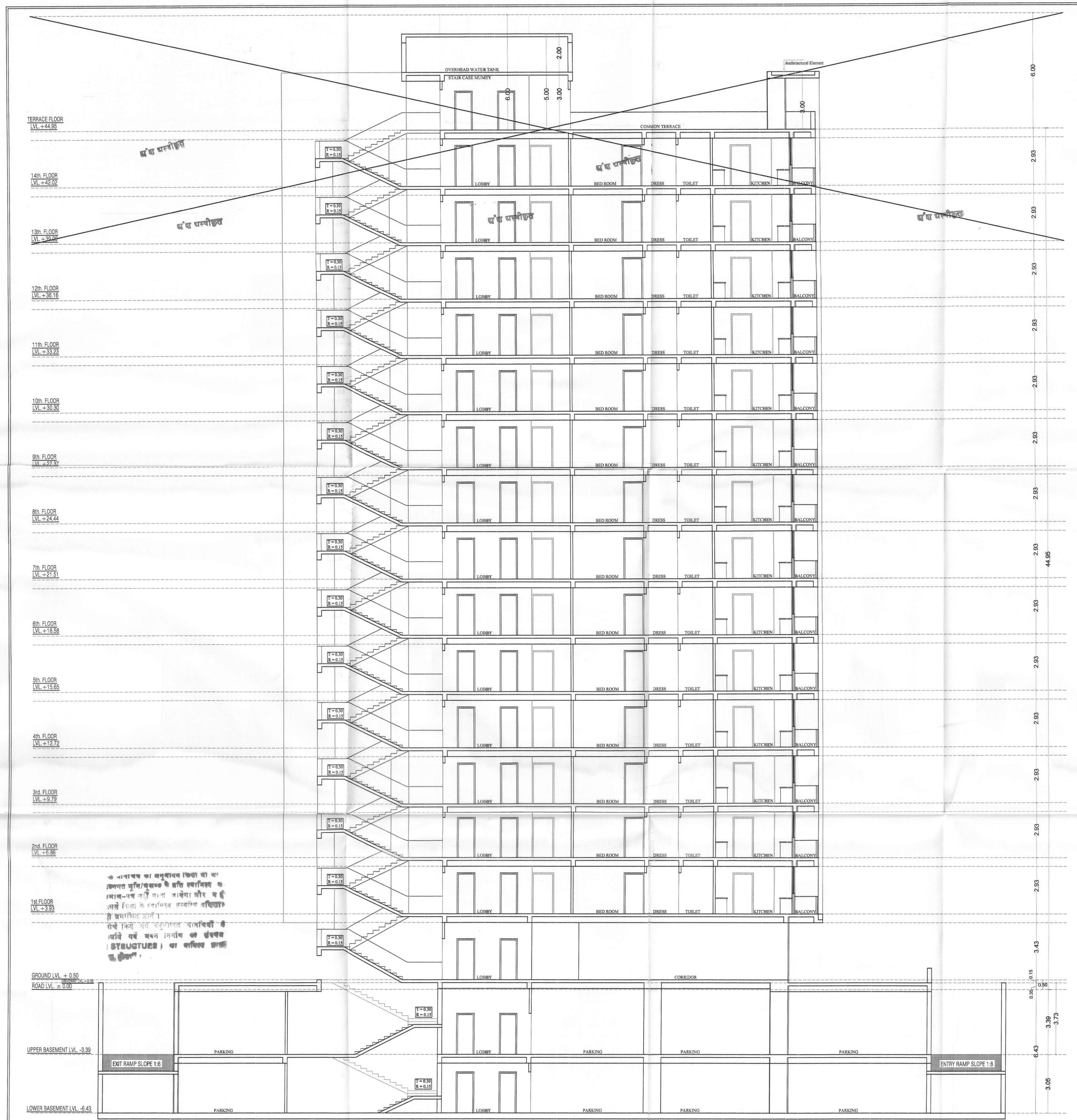

SECTION S1-S1

SECTION S2-S2

OWNER

For RIDHI SIDHI PRIME REALTY LLP

Designated Partner

SCALE = 1:100

PROJECT :-

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT
KHASRA NO. 213/4 AT
VILLAGE- KANAKPURA , JAIPUR

ARCHITECT :-

SPACE GRID

C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG,
BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766,0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHRI KRISHAN
ARCHITECT
CA/99/25451